

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 170]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 अप्रैल 2013—चैत्र 28, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2013

क्र. 2867-136-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16 अप्रैल 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २० सन् २०१३

### मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति ( पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना ) संशोधन अधिनियम, २०१३

[ दिनांक १६ अप्रैल २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १८ अप्रैल, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति ( पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना ) अधिनियम, १९८४ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम, २०१३ है.

धारा ३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, १९८४ (क्रमांक १५ सन् १९८४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में,—

(एक) उपधारा (१) में, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २००७" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०१२" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २००७" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०१२" स्थापित किए जाएं.

धारा ४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (२) में, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २००७" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०१२" स्थापित किए जाएं.

धारा ५ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ५ में,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द "और जुर्माने से जो पांच सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा", के स्थान पर, शब्द "और जुर्माने से जो दो हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में, शब्द "जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से", के स्थान पर, शब्द "जो तीन मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो दो हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा" स्थापित किए जाएं;

(तीन) उपधारा (३) में, शब्द "जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से", के स्थान पर, शब्द "जो तीन मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो दो हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा" स्थापित किए जाएं;

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल, 2013

क्र. 2868-136-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 20 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 20 OF 2013.

**THE MADHYA PRADESH NAGARIYA KSHETRON KE BHOOMIHIN VYAKTI  
(PATTADHRITI ADHIKARON KA PRADAN KIYA JANA) SANSHODHAN  
ADHINIYAM, 2013.**

[Received the assent of the Governor on the 16th April, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 18th April, 2013.]

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Nagariya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti  
(Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fourth year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagariya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Sanshodhan Adhiniyam, 2013. Short title.
2. In Section 3 of the Madhya Pradesh Nagariya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984 (No. 15 of 1984) (hereinafter referred to as the principal Act),— Amendment of Section 3.
  - (i) in sub-section (1), for the figures and words "31<sup>st</sup> day of December, 2007", the figures and words "31<sup>st</sup> day of December, 2012" shall be substituted;
  - (ii) in sub-section (2), for the figures and words "31<sup>st</sup> December, 2007" wherever they occur, the figures and words "31<sup>st</sup> December, 2012" shall be substituted.
3. In Section 4 of the principal Act, in sub-section (2), for the figures and words "31<sup>st</sup> December, 2007", the figures and words "31<sup>st</sup> December, 2012" shall be substituted Amendment of Section 4.
4. In Section 5 of the principal Act,— Amendment of Section 5.
  - (i) in sub-section (1), for the words "and with fine which shall not be less than five hundred rupees but which may extend to one thousand rupees", the words "and with fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to ten thousand rupees" shall be substituted;
  - (ii) in sub-section (2), for the words "may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both", the words "shall not be less than three months but which may extend to three years and with fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to ten thousand rupees" shall be substituted;
  - (iii) in sub-section (3), for the words "may extend to one year or with fine which may extend to five thousand rupees or with both", the words "shall not be less than three months but which may extend to three years and with fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to ten thousand rupees" shall be substituted.